भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2562
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

डाक विभाग

2562. श्री नारायण तातू राणे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक विभाग द्वारा स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले के लिए एक स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध में पिछले तीन वर्षों से आज तक का जिला-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में स्वतंत्र विभागीय कार्यालयों और संयुक्त कार्यालयों की स्थापना का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिले के लिए एक स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) डाक विभाग में स्वतंत्र और संयुक्त विभागीय डाकघरों की कोई अवधारणा नहीं है। विभागीय डाकघर दो प्रकार के होते हैं, नामत: प्रधान डाकघर और उप डाकघर। प्रधान डाकघर और उप डाकघर स्थापित करने के लिए स्थापना संबंधी मानदंड **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न हैं।

महाराष्ट्र में 2116 विभागीय डाकघर हैं, जिनमें रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिले भी शामिल हैं। उक्त डाकघरों की स्थापना स्वतंत्रता-पूर्व से वर्ष 2024 तक की अवधि के दौरान की गई। डाकघरों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है। महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों में खोले गए डाकघरों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

(ङ) रत्नागिरि जिले में 79 और सिंधुदुर्ग जिले में 55 विभागीय डाकघर हैं। रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में विभागीय डाकघर की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध-I

'डाक विभाग' विषय के संबंध में दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2562 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधान डाकघर खोले जाने संबंधी मानदंड :</u>

प्रधान डाकघर (एचओ), जिला स्तर के डाकघर होते हैं। कोई भी नया प्रधान डाकघर, किसी उप-डाकघर को प्रधान डाकघर में परिवर्तित कर या मौजूदा प्रधान डाकघर को दो प्रधान डाकघरों में विभाजित कर खोला जाता है। इसके लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं :

(क) प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए, बशर्ते न्यूनतम 20 उप-डाकघरों को उसके साथ संबद्ध किया जा सके। पिछड़े क्षेत्रों के मामले में इन मानदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जोकि अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(ख) यदि किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से संबद्ध उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है, तो उक्त प्रधान डाकघर को दो प्रधान डाकघरों में विभाजित किया जाना चाहिए।

<u>उप डाकघर खोले जाने संबंधी मानदंड :</u>

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में : अपग्रेड किए जाने के लिए प्रस्तावित शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटा प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक हानि की अनुमत सीमा 2400/- रु. तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 4800/- रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में : शहरी क्षेत्रों में स्थित डाकघर शुरुआत में आत्मनिर्भर होने चाहिए तथा पहली वार्षिक समीक्षा के समय इसे चलाए जाना जारी रखे जाने हेतु पात्रता के लिए यह आवश्यक होगा कि वे, 5% का लाभ अर्जित कर रहे हों। 20 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि. मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों के मामले में 2 कि. मी. होनी चाहिए। तथापि, किन्हीं भी दो डिलिवरी डाकघरों के बीच की दूरी 5 कि. मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

अनुबंध-II

"डाक विभाग" विषय के संबंध में दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2562 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या	उप-डाकघरों की संख्या
1	अहमदनगर	2	95
2	अकोला	1	31
3	अमरावती	2	53
4	बीड	1	35
5	भंडारा	1	18
6	बुलढाना	2	31
7	चंद्रपुर	1	35
8	छत्रपति संभाजीनगर	1	48
9	धाराशिव	**2**	**27**
10	धूले	1	34
11	गढ़चिरौली	0	18
12	गोंडिया	1	11
13	हिंगोली	0	9
14	जलगांव	3	74
15	जालना	1	32
16	कोल्हापुर	3	93
17	लातूर	**0**	**31**
18	मुम्बई शहर	6	105
19	मुम्बई उप नगरीय	3	115
20	नागपुर	3	104
21	नांदेड़	1	53
22	नंदुरबार	0	21
23	नासिक	3	95
24	पालघर	1	36
25	परभनी	1	23

26	पुणे	3	211
27	रायगढ़	2	66
28	**रत्नागिरि**	**2**	**77**
29	सांगली	2	81
30	सतारा	2	91
31	**सिंधुदुर्ग**	**2**	**53**
32	शोलापुर	2	90
33	ठाणे	2	81
34	वर्धा	1	26
35	वाशिम	0	14
36	यवतमाल	1	40
कुल योग		**59**	**2057**

अनुबंध-III

"डाक विभाग" विषय के संबंध में दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2562 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिले का नाम	**पिछले तीन वर्षों में खोले गए डाकघरों की संख्या**
अमरावती	1
चंद्रपुर	1
नागपुर एमएफएल	1
अकोला	1
हिंगोली	1
मुम्बई उप नगरीय	1
नांदेड़	2
पुणे	3
रायगढ़	1
सांगली	1
सतारा	1
सिंधुदुर्ग	1
ठाणे	1

*****